छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक 16 / वि.स. / वा. / 2016, रायपुर, दिनांक 12 / 11 / 2016

वाहनों के विक्रय हेतु तृतीय (अंतिम) निविदा आमंत्रण की सूचना

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय द्वारा निम्नांकित वाहन के विक्रय हेतु सीलबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता अपनी सीलबंद निविदा निर्धारित प्रारूप में दिनांक 26 नवम्बर, 2016 तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में 11:00 बजे से 03:00 बजे तक दे सकते हैं।

क्र.	वाहन क्रमांक	प्रकार	क्रय वर्ष
1.	C.G.02 / A-0004	एम्बेसेडर (पेट्रोल)	2005

निविदाकर्ता को निविदा के साथ हेतु 15,000/-(रूपये पन्द्रह हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो ''प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा'' को देय हो संलग्न करना होगा। इच्छुक व्यक्ति विधान सभा सचिवालय में आकर वाहन का अवलोकन कार्यालयीन दिवसों में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक कर सकते हैं।

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें किसी भी कार्यालयीन दिवस में वाहन शाखा से राशि रू. 100.00 में प्राप्त की जा सकती है, अथवा छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in से डाउन लोड की जा सकती है । जिसका शुल्क रू. 100/- विधानसभा सचिवालय में निविदा जमा करने के पूर्व जमा करना होगा । प्राप्त निविदाऐं दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को अपरान्ह 04.00 बजे खोली जाऐगी ।

निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा की शर्तें

1. वाहन जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में मूल्य दर आमंत्रित की जाती है एवं प्रदाय भी उसी स्थिति में किया जावेगा ।
2. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट ''प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा'' के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा। नगद राशि किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा मूल्य साफ सुंदर और सुस्पष्ट अंकों व शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य होगा। कॅाट छॅाट वाली निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. निविदा मूल्य दर बंद लिफाफे में स्वीकार की जायेगी । लिफाफे पर वाहन क्रमांक.......... हेतु निविदा लिखकर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, जीरो प्वाइंट, रायपुर के पते पर जमा किया जायेगा।
5. अधिकतम प्रस्तावित दर एवं द्वितीय प्रस्तावित दर वाले निविदाकर्ता की अमानत राशि रोककर शेष की अमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
6. निष्प्रयोजित वाहन की नीलामी एवं विक्रय संबंधी अंतिम निर्णय प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का होगा ।
7. सचिवालय के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त निविदा फार्म ही मान्य होंगे । बिना हस्ताक्षरित फार्म स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।
8. सफल निविदाकर्ता को निविदा मूल्य राशि निविदा स्वीकृति की तिथि से दस दिवस के अंदर जमा करना होगा। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जमा राशि राजसात करते हुए द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाले को राशि जमा करने के लिए निर्देश दिये जाने हेतु विचार किया जावेगा।
9. प्रदाय आदेश जारी होने के 10 दिवस में वाहन के पंजीकरण की कार्यवाही स्वयं के व्यय से करानी होगी, विलम्ब होने पर प्रतिदिन रू. 500/—विधान सभा सचिवालय में जमा कराना होगा । वाहन पंजीकरण की कार्यवाही करने के उपरान्त ही सुपुर्द किया जायेगा ।
10. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
11. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि उसे उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार है ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा